न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 14/2022(2022/82)

1. गुमान पुत्र कानाराम जाति कीर निवासी ग्राम बालापुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. सोराज पुत्र कल्लाज जाति कीर निवासी गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
2. रामेश्वर माली पुत्र हजारी माली जाति माली।
3. भोजा माली पुत्र हजारी माली जाति माली।
   निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
4. बहादुर सिंह पुत्र मोड सिंह जाति राजपूत।
5. शैतान पुत्र फूमा जाति मीणा।
6. रामचन्द्र मीणा पुत्र काना मीणा जाति मीणा
   समस्त निवासीगण जीतापुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

---अप्रार्थीगण

8. कमला देवी पत्नी मिश्रीलाल जाति कुम्हार।
9. लोकेश पुत्र मिश्रीलाल जाति कुम्हार
   निवासीगण सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

--- प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री मगन लाल लोधा
अप्रार्थी 1व 2 वकीलः–मुकेश गढ़वाल
...कार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम जीतापुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
7–128	859 860	0.92 0.08	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	रकबा 1.00हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 के संयुक्त कब्जे स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थी व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है । उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में भी भौतिक रूप से प्रार्थी व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 के संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग मे चली आ रही है व प्रार्थी व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण ही उक्त आराजी मे काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थी व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण की आराजीयात के पडौसी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.21 11:48:53 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
(अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात को काश्त करने को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता रहता है । इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात का नाप चोप करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है जिससे भविष्य में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो सके। प्रार्थी व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 ने दिनांक 26.04.2019 को अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कराने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 7 के यहां प्रार्थना पत्र दिया जिस पर सीमाज्ञान करने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 प्रार्थी से सीमाज्ञान को लेकर लडाई झगडा करते रहते है । अतः यह प्रार्थना पत्र स्थाई सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित करने हेतु आवश्यक हुआ । करीब एक माह पहले प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात काश्त करने गया तो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य स्थायी सीमा चिन्ह न होने से अप्रार्थीगण ने काश्त करने मे बाधा पंहुचाई तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजीयात का नाप चोप कर स्थायी सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित किया जाना न्यायोचित है प्रार्थी की उक्त आराजीयात व अप्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह न होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात की सीमा को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता रहता है इसलिए प्रर्थी की उक्त आराजीयात का नाप चोप कर स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित आराजीयात का नाप चौप कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात से वंचित हो जावेगा तथा बहुवाद कार्यवाहियों का सामना करना पडेगा व अपूर्णीय क्षति होगी जिससे उक्त आराजीयात का नापचौप कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है । प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 बाहर गये हुये जिस कारण प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु उपस्थित नहीं हो सकते है जिस कारण प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार बनाया गया है । अप्रार्थी नं0 7 लेण्ड होल्डर होने से व राजस्व रेकार्ड का संधारण करते है इसलिए फरीक मुकदमा बनाया गया है । प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल कारण दिनांक 02.01.2022 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को काश्त करने मे बाधा पंहुचाई व अब दिन प्रति दिन उत्पन्न हो रहा है । विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम जीतापुरा तहसील सावर जिला अजमेर मे स्थित है जिस बाबत प्रार्थना पत्र सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अतः प्रार्थी द्वारा अपने उक्त वर्णित आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढ़ी करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया। शेष अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम जीतापुरा तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 7–128 के कुल किता 2 कुल रकबा 1.00हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Panchal
Date: 2022.06.21 11:43:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner